# बिहार विकास मिशन

(मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के शासकीय अधीन)
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम कैम्पस,
हॉस्पिटल रोड, राजवंशी नगर, पटना–800023
E-Mail: bvm.msoffice@gmail.com
दूरभाष संख्याः–0612–2285262

**सं० सं०–बि०वि०मि०–स्था०–(DRCC/विविध)–14/22 1423 पटना, दिनांक 09/10/25**

## –:: आदेश ::–

बिहार विकास मिशन के आदेश संख्या–347, दिनांक–20.08.2016 द्वारा श्रीमती सुमेधा रानी का नियोजन संविदा के आधार पर प्रबंधक के पद पर करते हुए दिनांक–19.08.2016 के प्रभाव से जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, जहानाबाद में पदस्थापित किया गया था तथा आदेश संख्या–801 अनु0, दिनांक–07.08.2021 द्वारा उनका स्थानान्तरण जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, जहानाबाद से जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, नवादा किया गया।

2. जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक–381/जि0यो0, दिनांक–20.04.2023 द्वारा श्रीमती सुमेधा रानी, प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, नवादा का वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन बिहार विकास मिशन को उपलब्ध कराया गया, जिसमें Reviewing Authority द्वारा आवश्यक प्रदर्शित मानक अंक (211) से कम अंक (202.48) प्रदान करते हुए निम्न नकारात्मक अभ्युक्ति अंकित किया गयाः–

**"The co-ordination among various officers is poor and it is leading to a bad working environment"**

Reviewing Authority के उपर्युक्त अभ्युक्ति को Accepting Authority के रूप में जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा निम्न मंतव्य के साथ स्वीकार किया गया :–

**"Agree with Reviewing Authority"**

3. श्रीमती रानी के विरूद्ध उनके अकर्मण्यता, अक्षमता, अदक्षता, स्वेच्छाचारिता, लापरवाही तथा उपस्थिति पंजी एवं बायोमेट्रिक में छेड़–छाड़ आदि हेतु कई बार स्पष्टीकरण निर्गत होने के बावजूद श्रीमती रानी के कार्यशैली कोई अपेक्षित सुधार नहीं होने तथा इसके कारण जिले की रैंकिंग में गिरावट होने की सूचना प्रतिवेदित करते हुए जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक–422/जि0यो0, दिनांक– 26.04.2023 तथा पत्रांक–556/जि0यो0, दिनांक–11.04.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

4. जिला पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त पत्रांक–422/जि0यो0, दिनांक–26.04.2023 की छायाप्रति संलग्न करते हुए बिहार विकास मिशन के पत्रांक–579, दिनांक–12.05.2023 द्वारा श्रीमती सुमेधा रानी को स्पष्टीकरण निर्गत करते हुए निदेशित किया गया कि जिला पदाधिकारी के पत्र में अंकित तथ्यों के आलोक में तीन दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण जिला पदाधिकारी, नवादा को समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय। साथ ही प्रासंगिक पत्र की प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, नवादा को प्रेषित करते हुए श्रीमती रानी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर अपना मंतव्य/अनुशंसा सहित प्रतिवेदन बिहार विकास मिशन को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

5. पुनः बिहार विकास मिशन के पत्रांक–2119, दिनांक–17.11.2023 एवं स्मार पत्र संख्या–644, दिनांक–25.04.2024 द्वारा HR Manual के Policy No-11 की कंडिका–4, बिहार विकास मिशन का आदेश ज्ञापांक–560, दिनांक–04.10.2016 एवं आदेश ज्ञापांक–1710, दिनांक–03.10.2023 के आलोक में श्रीमती सुमेधा रानी, प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, नवादा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उन्हें Charge Sheet (आरोप पत्र) प्रदान कर उनसे प्राप्त

प्रतिउत्तर के आधार पर स्पष्ट मंतव्य के साथ संबंधित अभिलेखों सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, नवादा से अनुरोध किया गया।

6. बिहार विकास मिशन के पत्रांक-644, दिनांक-25.04.2024 के आलोक में जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-556/जि0यो0, दिनांक-11.04.2025 द्वारा श्रीमती रानी को निर्गत आरोप पत्र के संबंध में विस्तृत मंतव्य/ प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रतिवेदन में जिला में कार्यरत प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी-सह-वरीय उप समाहर्त्ता, जिला योजना पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त एवं सहायक समाहर्त्ता, नवादा (परीक्ष्यमान भा0प्र0से0) से प्राप्त विभिन्न जाँच प्रतिवेदनों का उल्लेख करते हुए तथा आरोप पत्र के आलोक में प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक/ स्वीकार योग्य नहीं होन का मंतव्य संसूचित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी।

7. जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-1482, दिनांक-14.07.2025 द्वारा पुनः प्रतिवेदित किया गया कि श्रीमती रानी के नकारात्मक कार्यशैली के कारण जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, नवादा का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है तथा इनके रहते हुए जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, नवादा द्वारा संचालित योजनाओं यथा-बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम योजना की रैंकिंग में सुधार असम्भव प्रतीत हो रहा है।

8. श्रीमती रानी के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नवादा एवं अन्य प्राधिकारों द्वारा प्रतिवेदित विभिन्न आरोपों एवं वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में नकारात्मक अभ्युक्ति के संबंध में बिहार विकास मिशन के ज्ञापांक-1005, दिनांक-27.06.2025 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्रीमती रानी द्वारा दिनांक-04.07.2025 को ई-मेल के माध्यम से प्रतिउत्तर समर्पित किया गया है, जो जिला पदाधिकारी, नवादा के प्रतिवेदन के संदर्भ में संतोषप्रद नहीं पाया गया है।

9. बिहार विकास मिशन के HR Manual के HR Policy No-11 (Code of Conduct) की कंडिका-3.1 एवं HR Policy No.-19 (Separation) की विभिन्न कंडिकाओं में सेवा समाप्ति (Termination) के संबंध में निम्नांकित प्रावधान हैः-

### (i) <u>Code of Conduct (HR Policy No-11)</u>

**कंडिका-3.1-** All employees are expected to obey general principles/norms/policy guidelines of office. Any other activity will be defined as unlawful.

- Discrimination based on an individual's gender, race, religion, origin, age, disability or financial condition is not allowed
- Every employee will abide by and comply with the regulations of BVM and all directions from the Controlling Officer.

### (ii) <u>Separation (HR Policy No-19)</u>

**कंडिका-4.3-** Termination is the ceasing of employment when an employee is unable to meet BVM's performance requirement, conduct, ethical and policy standards or providing any untrue statement in the personal information provided at the time of offer of employment.

**कंडिका-5.1-** Termination of an employee from services of BVM as a result of misconduct, disciplinary action or inadequate performance.

**कंडिका-6.1-** The organisation will initiate termination of employment when an employee is unable to meet the organisation's performance, conduct, ethical and policy standards.

**कंडिका-6.5-** The following list covers activities that may result in termination for disciplinary breach. These activities include but are not limited to:

6.5.1. Breach of trust or dishonesty
6.5.4. Willful violation of an established policy or regulations
6.5.5. Falsification of organisation records
6.5.6. Gross negligence or Insubordination
6.5.8. Undue and unauthorised absence from duty
6.5.9. Deliberate non-performance of work

10. जिला पदाधिकारी, नवादा एवं अन्य प्राधिकारों द्वारा श्रीमती रानी के विरूद्ध लगातार प्रतिवेदित सभी आरोप अत्यंत ही गंभीर प्रकृति के हैं। यह श्रीमती रानी के कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, अकर्मण्यता, अक्षमता, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता की पुष्टि करता है, जिसमें समय के बाद भी सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया है। श्रीमती रानी द्वारा उपस्थिति पंजी एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति में छेड़-छाड़ करना आदि जालसाजी का द्योतक है तथा बिहार विकास मिशन के HR Manual के सुसंगत प्रावधानों का स्पष्टतः उल्लंघन है।

अतः जिला पदाधिकारी, नवादा एवं अन्य प्राधिकारों से श्रीमती रानी के विरूद्ध प्राप्त प्रतिवेदन/ अनुशंसा तथा बिहार विकास मिशन के HR Manual में वर्णित Code of Conduct की कंडिका-3.1 एवं HR Policy No.-19 (Separation) के कंडिका-4.3, 5.1, 6.1, कंडिका-06 की उप कंडिका-6.5.1, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.8 एवं 6.5.9 के आलोक में श्रीमती सुमेधा रानी, प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, नवादा को आदेश निर्गत की तिथि से संविदा/ एकरारनामा रद्द करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

11. प्रस्ताव में सदस्य सचिव, बिहार विकास मिशन का अनुमोदन प्राप्त है।

09/10/25
(संजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

**ज्ञापांक :- बि०वि०मि०- स्था०-(DRCC/विविध)-14/22** 1423 **पटना, दिनांक** 09/10/25

**प्रतिलिपिः-** जिला पदाधिकारी, नवादा/ उप विकास आयुक्त, नवादा/ जिला योजना पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/10/25
मुख्य महाप्रबंधक

**ज्ञापांक :- बि०वि०मि०- स्था०-(DRCC/विविध)-14/22** 1423 **पटना, दिनांक** 09/10/25

**प्रतिलिपिः-** महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/10/25
मुख्य महाप्रबंधक

**ज्ञापांक :- बि०वि०मि०- स्था०-(DRCC/विविध)-14/22** 1423 **पटना, दिनांक** 09/10/25

**प्रतिलिपिः-** श्रीमती सुमेधा रानी, प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।

09/10/25
मुख्य महाप्रबंधक

**ज्ञापांक :- बि०वि०मि०- स्था०-(DRCC/विविध)-14/22** 1423 **पटना, दिनांक** 09/10/25

**प्रतिलिपिः-** एच0आर0 मैनेजर, बिहार विकास मिशन को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

09/10/25
मुख्य महाप्रबंधक

5.20P.M
09/10/25